FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम बिजौलियां

सरकार बनाम ....

किस्म मुकदमा – 111-128 नम्बर ....81.... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.2020	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 20.01.2021 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
21/01/2021	दिनांक 20.01.2021 को राजकीय अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थीगणों की तामीले अप्राप्त वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111/128 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के तलशुमार हो नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :— 81/2020 तारीख 21/12/2020

01. सुशीला देवी पत्नि दिनेश कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. मनीष कुमार पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :— दिनांकः 21.1.2021

प्रार्थना पत्र सुशीला देवी पत्नि दिनेश कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 330/65 रकबा 5—00 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/— रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 330/65 रकबा 5—00 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां